

Lawrence And Mayo Public School

Affiliated to The Central Board of Secondary Education, Delhi (A Senior Secondary Co-educational English Medium School)

Date - October 11, 2021

INFORMATION FOR PARENTS AND SCHOOL TEACHERS

Subject - Formation of Parents Teacher Association and School Level Fee Committee under Rajasthan School Regulation of Fees Act 2016 under section 4 (2) (d) of No. 14.

With reference to the above subject, the Rajasthan Schools (Regulation of Fees) Act, 2016 (Act No. 14) of Section 4(2) (d) and the Rajasthan School (Regulation of Fee) Rules, 2017, the tenure of the Parent Teacher Association and School Level Fee Committee formed in the year 2019-20 has been extended from the year 2020-21 till September 30, 2021 due to the Covid epidemic. Which automatically expires on 30th September 2021. Therefore, according to the rules, for the year 2022-23, a school level fee committee and parent-teacher association has to be formed. Parents & Teachers can become member of PTA by depositing rupees fifty (on or before Oct. 30, 2021) towards membership fees for one year as per norms.

A general meeting will be organized on 08.11.2021 at 10:00 am in school auditorium during which all the relevant information will be given to the parents. The parents willing to become a member of the school level fee committee can submit their filled consent form in the office on the same day.

दिनांक - ११ अक्टूबर, २०२१

अभिभावकों एवं स्कूल के शिक्षकों के लिए सूचना

विषय – राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 सं. 14 की धारा 4(2)(घ) के तहत नियम 2017 की पालना हेतु स्कूल के समस्त अभिभावक तथा समस्त शिक्षकों का माता – पिता तथा शिक्षक संगम एवं विद्यालय स्तरीय फीस समिति गटन के बाबत्।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 14) की धारा 4(2)(घ) और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2017 के अनुसार, वर्ष 2019-20 में बनाई गई माता - पिता शिक्षक संगम एवं स्कूल स्तरिय फीस समिति का कार्यकाल को कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 से सितम्बर 30, 2021 तक बढ़ाया गया। जो कि 30, सितम्बर 2021 को स्वतः ही समाप्त हो गया है। अतः नियमानुसार वर्ष 2022-23 के लिए स्कूल स्तरीय फीस समिति व माता - पिता एवं शिक्षक संगम का गठन होना है। माता - पिता एवं शिक्षक संगम की सदस्यता ग्रहण करने हेतु पचास रुपये जमा करवाकर सदस्य बन सकते है, जिसकी अंतिम तिथि - 30 अक्टूबर 2021 है।

जिसके उपरान्त दिनांक – 08.11.2021 को प्रातः 10:00 बजे स्कूल ऑडिटॉरियम में आम सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें अभिभावकों को सभी संबन्धित जानकारी दी जाएगी एवं जो अभिभावक स्कूल स्तरीय फीस समिति का सदस्य बनने के इच्छुक हो वे अपना इच्छा पत्र इसी दिन (Consent Letter) भरकर जमा करा सकते हैं।